न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -
परमजीत सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 29 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)

अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956)

प्रकरण संख्या - 64/2019 निर्णय दिनांक - 30/09/2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :-

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड 29 जी.बी.(बी) में पप्पी सिंह है और मेरा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मूल निवास, वोटर कार्ड और बच्चों के शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज में परमजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह है। अतः आपसे निवेदन है कि आपके अधिकार में राजस्व रिकॉर्ड में 29 जी.बी.(बी), 15 बी.जी.डी., 1 एस.वी. एस.एम.(बी) के रिकॉर्ड में पप्पी सिंह की जगह परमजीत सिंह किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार राज को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार राज की ओर से रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार चक 29 जी.बी.(बी) प.नं. 185/416(24) में प्रार्थी का नाम पप्पी सिंह पुत्र दर्शन सिंह व चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) प.नं. 189/409(19) में पप्पी सिंह पुत्र दर्शन सिंह दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) प.नं. 187/409(17) में परमजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि सही है। मुताबिक संलग्न दस्तावेज व पूछताछ के प्रार्थी का नाम (सही) परमजीत सिंह है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में पप्पी सिंह के स्थान पर पप्पी उर्फ परमजीत सिंह किया जाना उचित होगा।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया एवं कानूनी बिन्दुओं एवं प्रावधानों का मनन किया गया तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मूल निवास, वोटर कार्ड और बच्चों के शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज में परमजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से पप्पी सिंह पुत्र दर्शन सिंह अंकित हो गया है। जो कि सहवन से दर्ज हुआ है। जिसकी दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है।

लगातार........2

Priyanka
(प्रियंका तलानिया (R.A.S.))
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर
1/09/19

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व(लेण्ड रेवेन्यू) अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी चक 29 जी.बी.(बी) प.नं. 185/416(24) व चक 1 एस.वी.एस.एम.(बी) प.नं. 189/409(19) के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पप्पी सिंह पुत्र दर्शन सिंह दर्ज हो गया है, उसे सही कर पप्पी सिंह उर्फ परमजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह दर्ज करने के दूरूस्ती आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka 30/09/19

(प्रियंका तलानिया)

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner